रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2019/आषाढ़ 24, 1941
No. 405] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2019/ ASHADHA 24, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 496(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट-भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23) की धारा 41 की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी-भागीदारी) (समन्वय फोरम) नियम, 2019 की एक प्रारूप अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में तारीख 4 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283 (अ), के माध्यम से प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रारूप अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की निर्दिष्ट अवधि में उससे प्रभावित होने वाले लोगों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 4 अप्रैल, 2019 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और इस संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अत: अब केंद्रीय सरकार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) (समन्वय फोरम बैठकों की प्रक्रिया) नियम, 2019 कहा है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23) से अभिप्रेत है;

(ख) 'सदस्य-सचिव' से अधिनियम की धारा 38 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट सदस्य सचिव अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **बैठक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया-** (1) समन्वय फोरम की बैठक का कोरम समन्वय फोरम के आधे सदस्यों से पूरा होगा।

(2) सदस्य-सचिव द्वारा बैठक से कम से कम सात दिन पहले सदस्यों में बैठक की कार्यसूची परिचालित की जाएगी।

(3) कार्यसूची में किसी मद को शामिल करने के प्रस्ताव की सूचना बैठक से कम-से-कम सात दिन पहले सदस्य-सचिव को दी जाएगी:

परंतु समन्वय फोरम का अध्यक्ष ऐसी किसी मद, जिसे बैठक की कार्यसूची सम्मिलित नहीं किया गया है, को शामिल करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(4) समन्वय फोरम की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और समन्वय फोरम के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे।

(5) किसी संशोधन हेतु दिए गए सुझावों के साथ कार्यवृत्त आगामी बैठक में समन्वय फोरम के पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

(6) कार्यवृत्त के पुष्टि के पश्चात् और समन्वय फोरम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के पश्चात् इन्हें कार्यवृत्त-पुस्तिका में रखा जाएगा जिसे कार्यालय-समय में समन्वय फोरम के सदस्य किसी भी समय देख सकते हैं।

(7) समन्वय फोरम की बैठक में विचार किए गए सभी मामलों का निर्णय समन्वय फोरम के अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जाएगा:

परंतु यदि उपस्थित मत बराबरी से विभाजित हों, तो समन्वय फोरम के अध्यक्ष के पास समर्थन या निर्णायक मत होगा।

4. **समन्वय फोरम के सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते:-** (1) अध्यक्ष उसी वेतनमान में यात्रा और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जो मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 (1952 का 58) की धारा 6 के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(2) शासकीय सदस्य उसी वेतनमान में और उसी दर पर यात्रा और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जो उसे उसके यथास्थिति मूल संगठन या विभाग में अनुज्ञेय हैं।

(3) गैर शासकीय सदस्य उसी वेतनमान में और उसी दर पर यात्रा और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जो केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों के लिए लागू हैं।

[फा. सं. 52-2/2017-टीएस.I)]

सुखबीर सिंह संधु, अपर सचिव (त.शि.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सचिव, आईआईआईटी का समन्वय फोरम

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

G.S.R. 496(E).—Whereas a draft rules, namely, the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) (Co-ordination Forum) Rules, 2019 was published, as required by sub-section(1) of section 41 of the Indian Institutes of Information Technology (Public- private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 283 (E), dated the 4th April, 2019,

inviting objections or suggestions from the public likely to be affected thereby within thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were available to the public on the 4th April, 2019;

And whereas, no objection or suggestion has been received in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the Indian Institutes of Information Technology (Public private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) (Co-ordination Forum Procedure of Meetings) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017);

(b) "Member-Secretary" means the Member-Secretary referred to in sub-section (3) of section 38 of the Act.

(2) words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the same meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. **Procedure to be followed in meetings**.– (1) Half of the members of the Co-ordination Forum shall form a quorum for a meeting of the Co-ordination Forum.

(2) Agenda of a meeting shall be circulated by the Member-Secretary to the members at least seven days before a meeting.

(3) Notices of motions for inclusion of any item in the agenda of the meeting shall reach the Member-Secretary at least seven days before the scheduled date of the meeting:

Provided that the Chairperson of the Co-ordination Forum may permit inclusion of any item which have not been included in the agenda of the meeting.

(4) The minutes of the proceedings of a meeting of the Co-ordination Forum shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated to the members of the Co-ordination Forum.

(5) The minutes together with any suggested amendment shall be placed for confirmation of the Co-ordination Forum at its next meeting.

(6) After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Co-ordination Forum, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Co-ordination Forum at all times during office hours.

(7) All questions considered at the meeting of the Co-ordination Forum shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson of the Co-ordination Forum:

Provided that if the votes are equally divided, the Chairperson of the Co-ordination Forum shall have a second or casting vote.

4. **Travelling and other allowances payable to members of the Co-ordination Forum.**- (1) The Chairperson shall be entitled to travelling and daily allowances on the same scale as is admissible to him under section 6 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952).

(2) An official Member shall be entitled to the travelling and daily allowances at the same scale and at the same rate as are admissible to them in their parent organization or Department, as the case may be.

(3) A non official Member shall be entitled to the travelling and daily allowances at the same scale and at the same rate as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government.

[F. No. 52-2/2017-TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, AS (TE), MHRD

Secy. Coordination Forum of IIITs

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.07.15 18:48:43 +05'30'